न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 10 / 2024 **दायर दिनांक :—05.02.2024**

उनवान

1. राघवेन्द्र आयु 48 वर्ष पुत्र मोहनलाल जाति महाजन निवासी अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. अनिता आयु 40 वर्ष पुत्री मोहनलाल पत्नि मनीष जाति महाजन निवासी सोहित कला तहसील सोहित कला जिला आगर (म०प्र०)
2. ओमप्रकाश आयु 57 वर्ष पुत्र मोहनलाल जाति महाजन निवासी अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
3. राजेन्द्र आयु 61 वर्ष पुत्र मोहनलाल जाति महाजन निवासी अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
4. विरेन्द्र आयु 40 वर्ष पुत्र मोहनलाल जाति महाजन निवासी अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
5. शकुन्तला आयु 63 वर्ष पुत्री मोहनलाल पत्नि ओमप्रकाश जाति महाजन निवासी मकान नं. 19 जवाहर नगर कोटा (राज०)
6. शिमला आयु 50 वर्ष पुत्री मोहनलाल पत्नि उदयचन्द जाति महाजन निवासी बरुधन तहसील बून्दी जिला बून्दी (राज०)
7. सुरेन्द्र आयु 30 वर्ष पुत्र मोहनलाल जाति महाजन निवासी अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
8. कान्ता बाई आयु 80 वर्ष पत्नि स्व० मोहनलाल जाति महाजन निवासी अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
9. सत्यनारायण आयु 66 वर्ष पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति महाजन निवासी आदित्य आवास म.नं. 136 बजरंग नगर कोटा (राज०)

10. प्रेमबाई उर्फ प्रेमलता आयु 70 वर्ष पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नि ओमप्रकाश गगरानी जाति महाजन निवासी रघुनाथ मन्दिर के पास नजूल कालोनी गुना जिला गुना (म०प्र०)
11. राजेश आयु 60 वर्ष पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नि मनमोहन मंत्री जाति महाजन निवासी मकान नं. 13 ए देव निवास महेश कालोनी टोक फाटक जयपुर (राज०)
12. कमलेश आयु 55 वर्ष पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नि नटवरबिहारी बागला जाति महाजन निवासी माहेश्वरी कलेक्शन छोटी मस्जिद की गली गुना जिला गुना (म०प्र०)
13. नन्दकिशोर माहेश्वरी पुत्र कृष्णगोपाल जाति महाजन निवासी गणेश तालाब मोदी स्कूल के पास दादाबाड़ी कोटा जिला कोटा (राज०)
14. नटवरलाल पुत्र कृष्णगोपाल जाति महाजन (सामरिया) निवासी म.नं. 41 पार्श्वनाथ नगर बोरखेड़ा कोटा जिला कोटा (राज०)
15. लाडकंवर गगरानी पुत्री कृष्णगोपाल पत्नि रेवतीरमण गगरानी जाति महाजन निवासी गणेश तालाब मोदी स्कूल के पास दादाबाड़ी कोटा जिला कोटा (राज०)
16. सन्तोष बाई पुत्री कृष्णगोपाल पत्नि कन्हैयालाल झवर जाति महाजन निवासी सराय का स्थान लक्की बुर्ज रेतवाली केथूनीपोल कोटा जिला कोटा (राज०)
17. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 आर0 टी0 एक्ट

उपस्थितिः—

वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।

प्रतिवादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री दिग्विजय सिंह हाडा।

निर्णय

दिनांक :— 26.05.2025

वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 आर0टी0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि यह कि वाके ग्राम एवं माल दिलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारां (राज०) में नगीना बाई बेवा बालकिशन जाति महाजन निवासी अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां (राज०) के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी सम्वत् 2052 से 2055 के राजस्व रिकार्ड के मुताबिक खाता संख्या 144 की ख.नं. 246 का रकबा 0.01 हे०, ख.नं. 247 का रकबा 1.70 हे0, ख.नं. 432

का रकबा 2.23 हे0. ख.नं. 433 का रकबा 0.05 हे०, ख.नं. 1020 का रकबा 0.04 हे0, ख.नं. 1561 का रकबा 6.05 हे०, ख.नं. 1462/1974 का रकबा 0.11 हे0, ख.नं. 434/2120 का रकबा 0.09 हे० कुल किता 8 का कुल रकबा 10.28 हेक्टर स्थित थी और है। वाद पत्र के मद नं. 1 में दर्ज आराजी कुल किता 8 का कुल रकबा 10.28 हे0 की एक मात्र स्वामी खातेदार नगीना बाई बेवा बालकिशन जाति महाजन निवासी अन्ताना थी जिसके तीन वारिसान लक्ष्मीनारायण, मोहनलाल, भंवर बाई थे। नगीना बाई के तीनों वारिसान का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिसान निम्न प्रकार से है (1) लक्ष्मीनारायण के वारिसान सत्यनारायण पुत्र प्रेमलता, राजेश, कमलेश पुत्रिया है जो वर्तमान में जिवित है तथा इसी तरह से मोहनलाल के वारिसान ओमप्रकाश, राघवेन्द्र, राजेन्द्र, विरेन्द्र, सुरेन्द्र पुत्रान तथा अनिता, शकुन्तला, शिमला पुत्रिया एवं बेवा कान्ता बाई है तथा इसी क्रम में भंवर बाई के वारिसान नटवरलाल, नन्दकिशोर पुत्रान एवं लाडकुंवर पुत्री है। इन सभी वारिसान को वाद पत्र में पक्षकारान बनाकर मृतक मोहनलाल के पुत्र राघवेन्द्र की ओर से वसीयत नामा के आधार पर यह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। खातेदार नगीना बाई बेवा बालकिशन द्वारा उसके जीवनकाल में एक वसीयत नामा दिनांक 21/05/1993 को अपने पुत्र मोहनलाल के पुत्र राघवेन्द्र माहेश्वरी वादी अर्थात अपने पोत्र के पक्ष में रूबरू गवाहान बृजमोहन पुत्र देवीलाल नागर, हरिचरण पुत्र शंकर गोस्वामी निवासीगण अन्ताना तहसील अटरू के सामने निष्पादित करवाया था। वसीयत नामा दिनांक 21/05/1993 में यह स्पष्ट उल्लेख किया था कि मेरे वैवाहिक जीवन से दो पुत्र मोहनलाल एवं लक्ष्मीनारायण है जिनमें से मेरा एक पुत्र लक्ष्मीनारायण, राधाकिशन जी चाडक्य निवासी अन्ताना तहसील अटरू के सन् 1978 में गोद चला गया है तथा मेरे पास केवल मेरा लड़का मोहनलाल माहेश्वरी रहता है तथा मोहनलाल के वारिसान में वादी राघवेन्द्र कुमार है तथा अन्य मोहनलाल के वारिसान प्रतिवादीगण बनाया गया है इसके (मोहनलाल) के अलावा कोई जीवित या मृत सन्तान नही है आगे लिखा है कि मेरी तीन पोत्रियों का विवाह हो चुका है वह अपने–अपने ससुराल में निवास करती है तथा विवाह के समय उन्हे सम्पत्ति के बराबर का स्त्रीधन दे दिया है। वसीयत नामा में यह भी दर्ज करवाया है कि मैंने अपने जीवनकाल में सभी पोतो का बंटवारा कर दिया है। सभी को 100, 100 ग्राम सोना तथा छोटे पोते वीरेन्द्र को 2 किलो चांदी तथा 95000/– रूपये अक्षरे पिन्चानवे हजार रूपये मेरे जीवनकाल में जमा पूंजी दे दिया है तथा मैं अपने पोते राघवेन्द्र के साथ जिसके पक्ष में मैंने वसीयत नामा निष्पादित करवाया है उसके पास ही निवास कर रही हूं। वही मेरी देखभाल करता है।

वसीयतकर्ता के नाम पर उपरोक्त कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है। वसीयतकर्ता नगीना बाई का स्वर्गवास भी वादी के पास हुआ है तथा वसीयत नामे में दर्ज सम्पूर्ण आराजी को वादी ही काश्त कर रहा है। वसीयत कर्ता नगीना बाई का दिनांक 20/09/2009 में स्वर्गवास हो चुका है जिसके स्वर्गवास के बाद में सारे क्रियाक्रम वादी ने ही किये थे और एक मात्र वादी ही नगीना बाई का वसीयती उत्तराधिकारी है लेकिन प्रतिवादी क्रम 17 के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा नवीन खाता संख्या 565 का कुल किता 8 का कुल रकबा 10.28 हेक्टर आराजी जो वाद पत्र के मद नं. 1 में दर्ज है। जिसका फौती नामान्तकरण वसीयत नामा दिनांक 21/05/1993 के आधार पर वादी के दर्ज नही करके वसीयतकर्ता नगीना बाई के सभी वारिसान के नाम फौती नामान्तकरण संख्या 1386 दिनांक 09/04/2014 से सत्यनारायण पुत्र राजेश, कमलेश, प्रेमलता पुत्रिया लक्ष्मीनारायण 1/3 हिस्सा, मोहनलाल पुत्र बालकिशन 1/3 हिस्सा तथा नन्दकिशोर, नटवरलाल पुत्रान सन्तोष बाई, लाडकुवर पुत्रिया, भवर बाई पुत्री को नगीना बाई के वारिसान मानकर उक्त नामान्तकरण से आराजी प्रतिवादीगण के नाम खाते दर्ज कर दी। उक्त नामान्तकरण संख्या 1386 दिनांक 09/04/2014 वसीयत नामा दिनांक 21/05/1993 के आधार पर वादी के पक्ष में नही दर्ज करके नगीना बाई के वारिसान के नाम अवैधानिक एवं गैर कानूनी रूप से दर्ज कर दिया है जिसको वादी वसीयत नामा के आधार पर खारिज करा पाने का अधिकारी है तथा नगीना बाई के पुत्र मोहनलाल का स्वर्गवास होने के बाद में उसका 1/3 हिस्सा नामान्तकरण संख्या 1983 दिनांक 23/10/2021 से मृतक मोहनलाल के सभी वारिसान ओमप्रकाश, राघवेन्द्र, राजेन्द्र, विरेन्द्र, सुरेन्द्र पुत्रान तथा अनिता, शकुन्तला, शिमला पुत्रिया कान्ता बाई पत्नि बेवा के नाम 1/27, 1/27 हिस्सा दर्ज खाते कर दिया गया। इस वजह से नामान्तकरण संख्या 1983 दिनांक 23/10/2021 तथा नामान्तकरण स्वीकृति आदेश दिनांक 27/10/2021 अवैधानिक एवं गैर कानूनी होने की वजह से काबिल निरस्तनीय है। इस तरह से प्रतिवादी क्रम 17 के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा तथा प्रतिवादी क्रम 17 द्वारा नगीना बाई द्वारा निष्पादित वसीयत नामा दिनांक 21/05/1993 बाबत् कोई जांच पड़ताल नही की गई और न ही वादी से तथा प्रतिवादीगण से पूछताछ की गई जबकि वसीयत नामा में यह स्पष्ट उल्लेख है कि वसीयतकर्ता को अपने वैवाहिक जीवन से दो पुत्र मोहनलाल एवं लक्ष्मीनारायण माहेश्वरी है जिसमें से मेरा एक पुत्र लक्ष्मीनारायण माहेश्वरी भी राधाकिशन चाडक्य निवासी अन्ताना के वर्ष 1978 में ही गोद चला गया है। बिना सहायता न्यायालय नामान्तकरण संख्या 1386 दिनांक 06/04/2014

तथा नामान्तकरण संख्या 1983 दिनांक 23/10/2021, 27/10/2021 जो वसीयत नामा की रूह से अवैधानिक एवं गैर कानूनी है जिनको निरस्त करा पाना असम्भव है तथा वसीयत नामा दिनांक 21/05/1993 के आधार पर वादी के आराजी खाते दर्ज करवा पाना असम्भव है तथा वादी को अनेकानेक वाद विवादो में उलझना पड़ेगा। इस वजह से वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे कि नामान्तकरण संख्या 1386 दिनांक 06/04/2014 तथा नामान्तकरण संख्या 1983 दिनांक 23/10/2021 तथा 27/10/2021 वसीयत नामा दिनांक 21/05/1993 की रूह से अवैधानिक एवं गैर कानूनी होने की वजह से काबिल निरस्तनीय है तथा वसीयत नामा दिनांक 21/05/1993 के आधार पर वादी वाद पत्र के मद नं. 1 में दर्ज आराजी ख.नं. 246 का रकबा 0.01 हे0, ख.नं. 247 का रकबा 1.70 हे0, ख.नं. 432 का रकबा 2.23 हे0, ख. नं. 433 का रकबा 0.05 हे०, ख.नं. 1020 का रकबा 0.04 हे०, ख.नं. 1561 का रकबा 6.05 हे0, ख.नं. 1462/1974 का रकबा 0.11 हे0, ख.नं. 434/2120 का रकबा 0.09 हे० कुल किता 8 का कुल रकबा 10.28 हेक्टर आराजी माल दिलोद हाथी तहसील अटरू पर अपने आपको खातेदार कृषक घोषित करा पाने का अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है कि वह वादी को उसके स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 09/04/2014 को तथा दिनांक 23/10/2021 व 27/10/2023 को नामान्तकरण संख्या 1386 तथा 1983 अवैधानिक एवं गैर कानूनी दर्ज करने पर तथा अन्तिम बार वादी तथा प्रतिवादी क्रम 17 के कार्यालय में दिनांक 15/05/2023 को उपस्थित होकर आराजी वसीयत नामा के आधार पर खाते दर्ज कराने की कहने पर प्रतिवादी क्रम 17 द्वारा न्यायालय में कार्यवाही करने की सलाह देने पर माननीय न्यायालय में दावा पेश करने बाबत अन्तिम बार वाद कारण पैदा हुआ। वादी द्वारा रजिस्टर्ड नोटिस धारा 80 सी०पी०सी० का दिनांक 25/10/2023 को पेश कर दिया है जिसकी अवधि समाप्त होने पर माननीय न्यायालय में यह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। विवाद ग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल दिलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारां (राज०) में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को क्षेत्रा–धिकार तथा श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य

है। वाद अवधि मध्य तथा उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे किः—

(अ) वसीयत नामा दिनांक 21/05/1993 की बिना जांच किये खोले गये नामान्तकरण संख्या 1386 दिनांक 09/04/2014 तथा नामान्तकरण संख्या 1983 दिनांक 23/10/2021, 27/10/2021 अवैधानिक एवं गैर कानूनी होने की वजह से इन्हे प्रभाव शून्य घोषित किया जाकर निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

(ब) वसीयत नामा दिनांक 21/05/1993 की रूह से वादी को माल दिलोद हाथी की आराजी ख.नं. 246 का रकबा 0.01 हे0, ख.नं. 247 का रकबा 1.70 हे०, ख.नं. 432 का रकबा 2.23 हे0, ख.नं. 433 का रकबा 0.05 हे०, ख.नं. 1020 का रकबा 0.04 हे0, ख.नं. 1561 का रकबा 6.05 हे०, ख.नं. 1462/1974 का रकबा 0.11 हे०, ख.नं. 434/2120 का रकबा 0.09 हे० कुल किता 8 का कुल रकबा 10.28 हेक्टर आराजी पर खातेदार कृषक घोषित किया जावे। राजस्व अभिलेखो में वादी का नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज किया जावे।

(स) प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी को उसके स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे।

(द) अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

वादी ने वाद पत्र के साथ नकल जमाबन्दी ग्राम व माल दिलोदहाथी खाता संख्या नया 565 पुराना 546 सम्वत 2072—2075 (प्रदर्श—P4), नकल जमाबन्दी ग्राम व माल दिलोदहाथी खाता संख्या नया 190 पुराना 182 सम्वत 2068—2071, वसीयतनामा (इच्छापत्र) (प्रदर्श— P1A), मृत्यु प्रमाण पत्र नगीना बाई (प्रदर्श—P5), नकल नामान्तकरण ग्राम दिलोदहाथी नामान्तकरण संख्या 1983 दिनांक 23.10.2021 (प्रदर्श— P6) आदि दस्तावेज पेश किए।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी कम 1 ता 8 द्वारा इकबाली जवाब दावा पेश कर कथन किया की वाद पत्र का मद नं0 1 से 10 स्वीकार है। वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार है। वसीयतनामा दिनांक 21.05.1993 की रूह से आराजी को वादी ही काश्त करता चला आ रहा है तथा आराजी का स्वामी भी वही

है। अतः इकबाली जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद डिक्री फरमाते हुये वसीयत नामा दिनांक 21/05/1993 की रूह से वाद पत्र के मद नं. 1 में दर्ज आराजी खाता संख्या 144 की कुल किता 8 का कुल रकबा 10.28 हेक्टर पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे। प्रतिवादी कमांक 9 ता 12 द्वारा इकबाली जवाब दावा पेश कर कथन किया की वाद पत्र का मद नं0 1 से 10 स्वीकार है। वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार है। वसीयत नामा दिनांक 21/05/1993 की रूह से आराजी को वादी ही काश्त करता चला आ रहा है तथा आराजी का स्वामी भी वही है। अतः इकबाली जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद डिक्री फरमाते हुये वसीयत नामा दिनांक 21/05/1993 की रूह से वाद पत्र के मद नं. 1 में दर्ज आराजी खाता संख्या 144 की कुल किता 8 का कुल रकबा 10.28 हेक्टर पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे। प्रतिवादी कमांक 13 ता 16 द्वारा इकबाली जवाब दावा पेश कर कथन किया की वाद पत्र का मद नं0 1 से 10 स्वीकार है। वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार है। वसीयत नामा दिनांक 21/05/1993 की रूह से आराजी को वादी ही काश्त करता चला आ रहा है तथा आराजी का स्वामी भी वही है। अतः इकबाली जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद डिक्री फरमाते हुये वसीयत नामा दिनांक 21/05/1993 की रूह से वाद पत्र के मद नं. 1 में दर्ज आराजी खाता संख्या 144 की कुल किता 8 का कुल रकबा 10.28 हेक्टर पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

प्रतिवादी कमांक 17 द्वारा जवाब पेश नही करने पर जवाब बन्द किया गया तथा तहसीलदार अटरू से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा रिपोर्ट कमांक/राजस्व/2025/886 दिनांक 15.04.2025 से रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम दिलोदहाथी की आराजी खाता संख्या 565 का ख0नं0 1020 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 247 रकबा 1.70 है0, ख0नं0 246 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 432 रकबा 2.23 है0, ख0नं0 433 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 1462/1974 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 2470/1561 रकबा 1.8125 है0, ख0नं0 2471/1561 रकबा 2.7139 है0, ख0नं0 434/2120 रकबा 0.09 है0 कुल किता 9 का रकबा 8.7564 है0 आराजी पर वर्तमान में राघवेन्द्र पुत्र मोहनलाल जाति महाजन का कब्जा है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के अनुसार खसरा नं0 1561 नहर में अवाप्त हो जाने से ख0नं0 1561 के दो हिस्से

हो गये है। वसीयतनामा में वसीयतकर्ता द्वारा राघवेन्द्र पुत्र मोहनलाल के पक्ष में वसीयत की कई है तथा लक्ष्मीनारायण जी रामकिशन जी के यहां गोद चले गये थे।

साक्ष्यवादी के तहत बृजमोहन पुत्र देवीलाल जाति धाकड निवासी अन्ताना, हरिचरण पुत्र शंकरबन जाति गोस्वामी निवासी अन्ताना व राघवेन्द्र पुत्र मोहनलाल जाति महाजन निवासी अन्ताना के एकतरफा बयान लेखबद्व किए गए।

साक्ष्यवादी बृजमोहन पुत्र देवीलाल जाति धाकड निवासी अन्ताना ने अपने बयानों में कथन किया कि में नगीना बाई को जानता हुॅ। नगीना बाई ने जब वसीयतनामा लिखवाया था तक उनकी उम्र लगभग 80 साल की थी। उनका देहान्त 100 साल की उम्र में हुआ था। वसीयतनामा (इच्छापत्र) की लिखा–पढी दिनांक 21.05.1993 को मेरे सामने ही हुई थी। दोनो साक्ष्यगण को वसीयतनामा पढकर सुनाया था उसके बाद हम दोनो ने हस्ताक्षर किए थे। असल वसीयतनामा पर X स्थान पर नगीना बाई ने अंगुठा किया था तथा A-B स्थान पर 5 जगह मेरे हस्ताक्षर है और मेरे सामने ही हरिचरण ने हस्ताक्षर किए थे जिसके C-D स्थान पर हस्ताक्षर है। यह जमीन 70 बीघा के लगभग है जिसकों राघवेन्द्र जी काश्त करते चले आ रहे है। पहले बेलगाडी से काश्त करते थे अब ट्रेक्टर से काश्त करते है। अभी इस जमीन को राघवेन्द्र ही काश्त करता चला रहा है। जिनका नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में है उनको भी कोई ऐतराज नही है।

साक्ष्यवादी हरिचरण पुत्र शंकरबन जाति गोस्वामी निवासी अन्ताना अपने बयानों में कथन किया कि में नगीना बाई को जानता हुॅ जो बालकिशन जी की पत्नी है। यह जमीन हमने मुनाफा से भी काश्त की थी व पाती से भी काश्त की थी। यह जमीन दिलोदहाथी के माल में लगभग 70–72 बीघा है। नगीना बाई ने जब वसीयतनामा (इच्छापत्र) की लिखा–पढी दिनांक 21.05.1993 को की थी। नगीना बाई राघवेन्द्र के पास ही रहती थी तथा 100 वर्ष भी इनके पास ही पूरे हुए थे तथा नगीना बाई का क्रियाक्रम भी राघवेन्द्र ने ही किया था। वसीयतनामा (इच्छापत्र) (प्रदर्श– P1) हमे पढकर सुनाया था जिस पर C-D स्थान पर मेरे हस्ताक्षर है तथा A-B स्थान पर बृजमोहन के हस्ताक्षर है तथा X स्थान पर नगीना बाई ने अंगुठा किया था। वसीयतनामा बिल्कुल सत्य है। पहले तो सारी जमीन के 3 खेत थे एक खेत 40 बीघा था, एक खेत 16 बीघा का था तथा एक खेत 12 बीघा का था जिनके भी हिस्से हो गये है। जमीन वर्तमान में राघवेन्द्र के कब्जे में ही है तथा यही काश्त करता चला रहा है।

साक्ष्यवादी राघवेन्द्र पुत्र मोहनलाल जाति महाजन निवासी अन्ताना ने अपने बयानों में कथन किया कि में प्रतिवादी अनिता, ओमप्रकाश, राजेन्द्र, विरेन्द्र, शकुन्तला, शिमला, सुरेन्द्र व कान्ता को जानता हुॅ। यह मेरे भाई, बहन व मां है तथा सत्यनारायण, प्रेम बाई, राजेश, कमलेश, नन्दकिशोर, नटवरलाल, लाडकंवर, संतोष यह सभी मेरे पिताजी की बहन के लडके है। नगीना बाई बेवा बालकिशन मेरी सगी दादी है। जिसके खाते में कुल जमीन 8 किता की 10.28 है0 थी और नगीना बाई के लक्ष्मीनारायण, मोहनलाल जो मेरे पिताजी है तथा भंवर बाई थी। मेरे पक्ष में मेरी दादी नगीना बाई ने उसके जीवनकाल में एक वसीयतनामा (इच्छापत्र) (प्रदर्श– P1) दिनांक 21.05.1993 को निष्पादित किया था। वसीयतनामा में वर्णित समस्त आराजी को मैं ही काश्त करता चला आ रहा हुॅ। वसीयतनामा पर X स्थान पर मेरी दादी नगीना बाई ने अंगुठा किया था। नगीना बाई ने उनके जीवनकाल में उनकी सारी जमीन का बंटवारा कर दिया था। नगीना बाई का स्वर्गवास होने के बाद उनके सारे क्रियाक्रम भी मेने ही किए थे लेकिन वसीयतनामा के आधार पर नामान्तकरण दर्ज नही होने से फौती नामान्तकरण सभी वारिसान के नाम दिनांक 09.04.2014 को नामान्तकरण संख्या 1386 से दर्ज कर दिया था। जो नामान्तकरण खोले गये थे वो बिना वसीयत की जांच किए खोल दिए गए। इस वजह से नामान्तकरण संख्या 1386 दिनांक 09.04.2014 को खारिज किया जावें। इसी तरह नामान्तकरण संख्या 1983 दिनांक 23.10.2021 व 27.10.2023 को भी खारिज किया जावें। इस जमीन को में ही काश्त करता चला आ रहा हुॅ। किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नही है। सभी प्रतिवादीगण ने भी मेरे पक्ष में इकबाली जवाब पेश किया है। अतः वसीयतनामा के आधार पर जमीन मेरे खाते दर्ज की जावें तथा नामान्तकरण जो 2014 में खुला है उसको खारिज किया जावें।

वाद के निर्णयन से पहले राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की निम्नलिखित धाराओं को समझना आवश्यक है।

अधिकार की घोषणा के लिए वाद (धारा 88 आर0टी0 एक्ट) :–

1. अभिधारी या सह अभिधारी होने का दावा करने वाला व्यक्ति इस घोषणा के लिए कि वह अभिधारी है या ऐसी संयुक्त अभिधृति में अपने हिस्से की घोषणा के लिए वाद ला सकेगा।
2. खुदकाश्त अभिधारी इस घोषणा के लिए कि वह ऐसा अभिधारी है वाद ला सकेगा।
3. उप अभिधारी ऐसे व्यक्ति, जिससे वह भूमि धारण करता है, के विरूद्ध इस घोषणा के लिए कि वह उप अभिधारी है वाद ला सकेगा।

4. राज्य सरकार से भिन्न कोई भू धारक किसी जोत के अभिधारी या सह अभिधारी या खुदकाश्त अभिधारी या उप अभिधारी होने का दावा करने वाले व्यक्ति के विरूद्व ऐसे व्यक्ति के अधिकार की घोषणा के लिए वाद ला सकेगा।

अभिधृति के वर्ग आदि के वारे में वाद (धारा 89 आर0टी0 एक्ट) :–

अभिधृति के जारी रहने के दौरान किसी भी समय अभिधारी या राज्य सरकार से भिन्न भू धारक निम्नलिखित सब विषयों या उनमें से किसी के बारे में घोषणा के लिए वाद ला सकेगा।

(क) वर्ग जिसका वह अभिधारी है।

(ख) जोत का क्षेत्रफल, उसके संख्यांकित भूखण्ड या उसकी सीमाएँ।

(ग) जोत के बारे में संदेय लगान और नीति जिससे वह संदेय है।

(घ) लगान के नकद में संदेय होने की दशा में, तारीखे जिन पर और किश्ते जिनमें वह संदेय है।

(ड) लगान के वस्तुरूप में संदेय होने की दशा में, फसलों को आंकने, उनका बंटवारा करने या परिदान करने का समय स्थान और रीति।

(च) गैर खातेदार अभिधारी या खुदकाश्त अभिधारी या उप अभिधारी की दशा में अवधि जिसके लिए अभिधृति जारी रहनी है तथा

(छ) कोई भी विशेष शर्तें जो इस अधिनियम से असंगत नही हों।

अन्य अधिकारों की घोषणा के लिए वाद (धारा 91 आर0टी0 एक्ट) :– विनिर्दिष्टतः अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त अपने सब अधिकारों या उनमें से किसी की, जिसके लिए अन्यथा रूप से उपबंध नही है, घोषणा के लिए कोई भी व्यक्ति वाद ला सकेगा।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 दोषपूर्ण बेदखली के विरूद्व व्यादेशः– कोई अभिधारी जिसकी सम्पूर्ण जोत या उसके किसी भाग पर से अधिकार या उसके उपभोग पर उसके भू–धारक अथवा किसी अन्य द्वारा अतिचार किया गया हो या अतिचार किए जाने का भय हो, शाश्वत व्यादेश के लिए वाद ला सकेगा।

धारा 188 आर.टी.एक्ट के अधीन वाद में शाश्वत व्यादेश देने के पहले निम्न शर्तें साबित करनी आवश्यक है किः–

i- वादी विवादग्रस्त जोत का अभिधारी है।

ii- वाद फाइल करने की तारीख को वादी उस वाद भूमि पर काबिज है।

iii- वादी का उस जोत में से अधिकार या उपभोग कर प्रतिवादी द्वारा अतिक्रमण (अतिचार) किया गया है या आक्रमण करने का भय है।

अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी द्वारा बहस के दौरान नहर में अवाप्त भूमि के संबंध में कोई आपत्ति पेश नही की है तथा अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा भी बहस के दौरान कोई आपत्ति पेश नही की। बहस के प्रकाश में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध वसीयतनामा (इच्छापत्र) (प्रदर्श–P1) के अनुसार नगीना बाई पत्नी बालकिशन जाति महाजन निवासी अन्ताना ने अपने नाम दर्ज आराजी ग्राम व माल दिलोदहाथी पटवार हल्का दिलोदहाथी तहसील अटरू की आराजी कुल किता 8 का कुल रकबा 10.28 है0 की दिनांक 21.05.1993 को एक वसीयत राघवेन्द्र पुत्र मोहनलाल जाति महाजन निवासी अन्ताना में पक्ष में की थी। जिस पर गवाह के रूप में बृजमोहन व हरिचरण के हस्ताक्षर है। वादी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र (प्रदर्श–P5) नगीना बाई के अनुसार नगीना बाई पत्नी बालकिशन निवासी अन्ताना तहसील अटरू की मृत्यु 20.06.2009 को हुई है। तहसीलदार अटरू द्वारा पेश रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/886 दिनांक 15.04.2025 के अवलोकन के आधार पर ग्राम दिलोदहाथी की आराजी खाता संख्या 565 का ख0नं0 1020 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 247 रकबा 1.70 है0, ख0नं0 246 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 432 रकबा 2.23 है0, ख0नं0 433 रकबा 0. 05 है0, ख0नं0 1462/1974 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 2470/1561 रकबा 1.8125 है0, ख0नं0 2471/1561 रकबा 2.7139 है0, ख0नं0 434/2120 रकबा 0.09 है0 कुल किता 9 का रकबा 8. 7564 है0 आराजी पर वर्तमान में राघवेन्द्र पुत्र मोहनलाल जाति महाजन का कब्जा है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के अनुसार खसरा नं0 1561 नहर में अवाप्त हो जाने से ख0नं0 1561 के दो हिस्से हो गये है। साक्ष्य गवाहान के अवलोकन के आधार पर उक्त आराजी पर राघवेन्द्र ही काश्त करता चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी राघवेन्द्र का ही कब्जा है।

नकल जमाबन्दी ग्राम दिलोदहाथी पटवार हल्का दिलोदहाथी के खाता संख्या 565 सम्वत 2072–2075 (प्रदर्श–P4) के अनुसार ख0नं0 1020 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 1462/1974 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 1561 रकबा 6.05 है0, ख0नं0 246 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 247 रकबा 1.70 है0, ख0नं0 432 रकबा 2.23 है0, ख0नं0 433 रकबा 0.05 है0 व ख0नं0 434/2120 रकबा 0.09 है0 कुल किता 8 का रकबा 10.28 है0 आराजी अनिता पुत्री मोहनलाल,

ओमप्रकाश पुत्र मोहनलाल, कमलेश पुत्री लक्ष्मीनारायण, कान्ता बाई पत्नी स्व0 मोहनलाल, नटवरलाल पुत्र भंवरबाई, नन्दकिशोर पुत्र भंवरबाई, प्रेमलता पुत्री लक्ष्मीनारायण, राघवेन्द्र पुत्र मोहनलाल, राजेन्द्र पुत्र मोहनलाल, राजेश पुत्री लक्ष्मीनारायण, लाडकुंवर पुत्री भंवरबाई, विरेन्द्र पुत्र मोहनलाल, शकुन्तला पुत्री मोहनलाल, शिमला पुत्री मोहनलाल, सत्यनारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण, संतोष बाई पुत्री भंवरबाई व सुरेन्द्र पुत्र मोहनलाल के नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है तथा जमाबन्दी ग्राम व माल दिलोदहाथी पटवार हल्का दिलोदहाथी तहसील अटरू की जमाबन्दी सम्वत 2068–2071 के खाता संख्या 190 के अनुसार ख0नं0 1020 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 1462/1974 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 1561 रकबा 6.05 है0, ख0नं0 246 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 247 रकबा 1.70 है0, ख0नं0 432 रकबा 2.23 है0, ख0नं0 433 रकबा 0.05 है0 व ख0नं0 434/2120 रकबा 0.09 है0 कुल किता 8 का रकबा 10.28 है0 आराजी नगीना बाई बेवा बालकिशन जाति महाजन सा0 अन्ताना के नाम काश्तकार के रूप में दर्ज रिकार्ड है।

नगीना बाई बेवा बालकिशन की मृत्यु के पश्चात विरासत के नामान्तकरण संख्या 1386 दिनांक 09.06.2014 के द्वारा सत्यनारायण पुत्र, प्रेमलता, राजेश, कमलेश पुत्रियां लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/3, मोहनलाल पुत्र बालकिशन हिस्सा 1/3, नन्दकिशोर, नटवरलाल पुत्र संतोष बाई, लाडकंवर पुत्रियां भंवरबाई हिस्सा 1/3 के नाम दर्ज हुई। नामान्तकरण संख्या 1983 दिनांक 27.10.2021 के द्वारा अनिता पुत्री मोहनलाल, ओमप्रकाश पुत्र मोहनलाल, कान्ता बाई पत्नी स्व0 मोहनलाल, राघवेन्द्र पुत्र मोहनलाल, राजेन्द्र पुत्र मोहनलाल, विरेन्द्र पुत्र मोहनलाल, शकुन्तला पुत्री मोहनलाल, शिमला पुत्री मोहनलाल, सुरेन्द्र पुत्र मोहनलाल के नाज दर्ज हुई।

जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 (प्रदर्श–P4) में सहखातेदार के रूप में दर्ज सभी खातेदार वाद में वादी व प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार बनाए गए है। प्रतिवादी क्रम संख्या 1 ता 16 द्वारा इकबालियां जवाब पेश किया गया है। अतः तनकी बनाये जाने की आवश्यकता नही है।

वादी ने वाद पत्र में लक्ष्मीनारायण का गोद जाना बताया है तथा लक्ष्मीनारायण के वारिसान कमलेश पुत्री लक्ष्मीनारायण, प्रेमलता पुत्री लक्ष्मीनारायण, राजेश पुत्री लक्ष्मीनारायण व सत्यनारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण ने स्वयं उपस्थित होकर इकबालियां जवाब के माध्यम से वादी के कथनों को सही होना स्वीकार किया है।

निम्नलिखित तत्व वसीयत के आवश्यक तत्व माने गए हैः–

- वसीयत अभिलिखित हो।

- वसीयत पर वसीयत करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर, दो गवाहों के सामने हुए हों।
- एक व्यक्ति जो गवाह हो वो न्यायालय के समक्ष आकर वसीयत का किया जाना, वसीयत पर हस्ताक्षर होना व दो गवाह होना प्रमाणित करें।

वादी द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा (इच्छापत्र) पर बृजमोहन पुत्र देवीलाल जाति धाकड निवासी अन्ताना तहसील अटरू तथा हरिचरण पुत्र शंकरबन जाति गोस्वामी निवासी अन्ताना तहसील अटरू के हस्ताक्षर है तथा दोनो ही गवाहों ने स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वसीयत का सही होना स्वीकार किया है तथा आदेशिका पर हस्ताक्षर भी किए। प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 16 ने भी इकबालियां जवाब में वसीयत को सही होना स्वीकार किया है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर वसीयत का सही होना साबित है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, तहसीलदार रिपोर्ट, साक्ष्यों द्वारा किए गए कथन तथा बहस अभिभाषकगण का अध्ययन, मनन, विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम व माल दिलोदहाथी पटवार हल्का दिलोदहाथी तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 565 के ख0नं0 1020 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 1462/1974 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 1561 रकबा 6.05 है0, ख0नं0 246 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 247 रकबा 1.70 है0, ख0नं0 432 रकबा 2.23 है0, ख0नं0 433 रकबा 0.05 है0 व ख0नं0 434/2120 रकबा 0.09 है0 कुल किता 8 का रकबा 10.28 है0 आराजी में से परवन वृहद सिंचाई परियोजना में अवाप्त भूमि को छोडकर शेष रकबा 8.7564 पर वादी राघवेन्द्र पुत्र मोहनलाल जाति महाजन को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिया जाता है कि उक्तानुसार अमल दरामद करें। बैंक के रहन का नोट संबंधित के हिस्से पर यथावत रहेगा। गै0मु0 नाला, गै0मु0 नाली, गै0मु0खाल, गै0मु0 छतरी, गै0मु0रास्ता तथा भूमि की किस्म का नोट यथावत रखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>

बइजलास. श्री ओम प्रकाश चन्देलिया (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 10/2024 **दायर दिनांक :–05.02.2024**

उनवान

1. राघवेन्द्र आयु 48 वर्ष पुत्र मोहनलाल जाति महाजन निवासी अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. अनिता आयु 40 वर्ष पुत्री मोहनलाल पत्नि मनीष जाति महाजन निवासी सोहित कला तहसील सोहित कला जिला आगर (म०प्र०)
2. ओमप्रकाश आयु 57 वर्ष पुत्र मोहनलाल जाति महाजन निवासी अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
3. राजेन्द्र आयु 61 वर्ष पुत्र मोहनलाल जाति महाजन निवासी अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
4. विरेन्द्र आयु 40 वर्ष पुत्र मोहनलाल जाति महाजन निवासी अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
5. शकुन्तला आयु 63 वर्ष पुत्री मोहनलाल पत्नि ओमप्रकाश जाति महाजन निवासी मकान नं. 19 जवाहर नगर कोटा (राज०)
6. शिमला आयु 50 वर्ष पुत्री मोहनलाल पत्नि उदयचन्द जाति महाजन निवासी बरुधन तहसील बून्दी जिला बून्दी (राज०)
7. सुरेन्द्र आयु 30 वर्ष पुत्र मोहनलाल जाति महाजन निवासी अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
8. कान्ता बाई आयु 80 वर्ष पत्नि स्व० मोहनलाल जाति महाजन निवासी अन्ताना तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
9. सत्यनारायण आयु 66 वर्ष पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति महाजन निवासी आदित्य आवास म.नं. 136 बजरंग नगर कोटा (राज०)
10. प्रेमबाई उर्फ प्रेमलता आयु 70 वर्ष पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नि ओमप्रकाश गगरानी जाति महाजन निवासी रघुनाथ मन्दिर के पास नजूल कालोनी गुना जिला गुना (म०प्र०)
11. राजेश आयु 60 वर्ष पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नि मनमोहन मंत्री जाति महाजन निवासी मकान नं. 13 ए देव निवास महेश कालोनी टोक फाटक जयपुर (राज०)
12. कमलेश आयु 55 वर्ष पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नि नटवरबिहारी बागला जाति महाजन निवासी माहेश्वरी कलेक्शन छोटी मस्जिद की गली गुना जिला गुना (म०प्र०)
13. नन्दकिशोर माहेश्वरी पुत्र कृष्णगोपाल जाति महाजन निवासी गणेश तालाब मोदी स्कूल के पास दादाबाड़ी कोटा जिला कोटा (राज०)
14. नटवरलाल पुत्र कृष्णगोपाल जाति महाजन (सामरिया) निवासी म.नं. 41 पार्श्वनाथ नगर बोरखेड़ा कोटा जिला कोटा (राज०)
15. लाडकंवर गगरानी पुत्री कृष्णगोपाल पत्नि रेवतीरमण गगरानी जाति महाजन निवासी गणेश तालाब मोदी स्कूल के पास दादाबाड़ी कोटा जिला कोटा (राज०)

16. सन्तोष बाई पुत्री कृष्णगोपाल पत्नि कन्हैयालाल झवर जाति महाजन निवासी सराय का स्थान लक्की बुर्ज रेतवाली केथूनीपोल कोटा जिला कोटा (राज०)

17. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 आर0 टी0 एक्ट</u>

उपस्थिति :–

वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।

प्रतिवादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री दिग्विजय सिंह हाडा।

मिनजानित मुदई रूबरू ....ग..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। ग्राम व माल दिलोदहाथी पटवार हल्का दिलोदहाथी तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 565 के ख0नं0 1020 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 1462/1974 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 1561 रकबा 6.05 है0, ख0नं0 246 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 247 रकबा 1.70 है0, ख0नं0 432 रकबा 2.23 है0, ख0नं0 433 रकबा 0.05 है0 व ख0नं0 434/2120 रकबा 0.09 है0 कुल किता 8 का रकबा 10.28 है0 आराजी में से परवन वृहद सिंचाई परियोजना में अवाप्त भूमि को छोडकर शेष रकबा 8.7564 पर वादी राघवेन्द्र पुत्र मोहनलाल जाति महाजन को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिया जाता है कि उक्तानुसार अमल दरामद करें। बैंक के रहन का नोट संबंधित के हिस्से पर यथावत रहेगा। गै0मु0 नाला, गै0मु0 नाली, गै0मु0खाल, गै0मु0 छतरी, गै0मु0रास्ता तथा भूमि की किस्म का नोट यथावत रखा जावें।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....ग..................... मुबालिक ....ग................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......ग........................
.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....ग........................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 26.05.2025 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)